हड़कम्प | स्वास्थ्य विभाग ने कहा... मरीजों में नहीं दिखे फूड प्वाइजनिंग के लक्षण

मिठाई खाकर 19 बीमार ,1 मरीज नागपुर रेफर

लापरवाही सामने आने पर दुकान की जाएगी सील: कलेक्टर

मरीजों ने कहा.. मामला फूड प्वाइजनिंग का....

नवभारत,जबलपुर। शहर के प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर में आयोजित सुहागिनें कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब मिठाई खाने के बाद अचानक करीब 19 लोग बीमार हो गए। मिठाई खाने के बाद सभी को उल्टियां और चक्कर आने लगे जिसके बाद लोग काफी भयभीत हो गए। जानकारी के अनुसार सुहागिनें कार्यक्रम के लिए त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में प्रसाद अर्पित करने के लिए उन्होंने भेड़ाघाट स्थित राजस्थान बीकानेर स्वीट्स से 4 किलो मिठाई मंगाई थी। जिसे ग्रहण करने के बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगी। इनमें बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। हालत बिगड़ते देख सभी को इलाज के लिए तत्काल एंबुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल विक्टोरिया, कुछ को भेड़ाघाट चौक स्थित अस्पताल, कुछ को निजी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया।

वहीं पूरे मामले में फूड प्वाइजिंग की आशंका जताई जा रही है। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बिकानेर स्वीट्स से बर्फी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नवभारत को ये भी बताया कि प्रभावित लोगों में फूड प्वाइजनिंग जैसे लक्षण नहीं दिखे हैं।

ये हुए बीमार

बीमार हुए लोगों में विजय पटैल 61 वर्ष इनकी पत्नि 58 वर्ष, नीरज पटैल व उनकी पत्नि, दिलीप पटैल 42 साल, गीता 36 वर्ष, कैलाश पटैल, रिशिकेष पटैल, ममता पटैल 55 वर्ष, रूपाली पटैल, इंद्र पटैल 44 वर्ष, रामरतन पटैल 77 वर्ष, रामशरण पटैल 68 वर्ष व इनकी पत्नि, भारती पटैल व इनके 5 साल के दो बच्चे बीमार हुए हैं। इनमें से इंद्र पटैल को नागपुर रेफर किया गया है वहीं विजय पटैल को गंभीरावस्था में गोटेगांव श्रीधाम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

7 दिनों में आएगी जांच रिपोर्ट

जानकारी के अनुसार किसी भी मिठाई के सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में सामान्यतः 25 से 30 दिन लगते हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में सामने लाने की बात कही है और प्रभावित लोगों को ये भी आश्वासन दिया है कि यदि राजस्थान बीकानेर स्वीट्स की बर्फी के कारण ये हालात बने हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी।

पुड़ी सब्जी पर विभाग ने जताई आशंका

स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने नवभारत को बताया कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भंडारा का भी आयोजन हुआ था जिसमें लोगों ने मिठाई के साथ पुड़ी सब्जी भी खाई थी। विभाग ने ये भी आशंका जताई है कि पुड़ी सब्जी के कारण भी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

इनका कहना है

लापरवाही सामने आने पर भेड़ाघाट स्थित राजस्थान बीकानेर स्वीट्स को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।

राघवेंद्र सिंह
कलेक्टर जबलपुर

विक्टोरिया अस्पताल में 4 मरीज चैकअप के लिए आए थे जिन्हें डॉक्टर्स द्वारा भर्ती कर 24 घंटे निगरानी के लिए कहा गया था लेकिन परिजन उन चारों को अस्पताल से बिना जांच कराए ले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेड़ाघाट चौक स्थित राजस्थान बीकानेर स्वीट्स की मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। इस मामले से प्रभावित कोई अन्य मरीज भी मेडिकल में नहीं पहुंचा है।

डॉ. संजय मिश्रा
सीएमएचओ

फूड प्वाइजनिंग की शिकायत पर राजस्थान बीकानेर स्वीट्स से बर्फी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 दिनों में जांच रिपोर्ट सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। त्रिपुर सुंदरी में लोगों ने मिठाई के अलावा पुड़ी सब्जी भी भंडारे में खाई थी। फिलहाल अभी किसी भी मरीज में फूड प्वाइजनिंग के लक्षण नहीं दिखे हैं।

देवेंद्र दुबे
फूड इंस्पेक्टर स्वास्थ्य विभाग

नर्मदा, परियट व गौर नदी से पांच सौ मीटर के भीतर की डेयरिया कब हटेंगी

एनजीटी में याचिका के जरिए कार्रवाई की अंतरिम मांग

जबलपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी में एक जनहित याचिका के जरिए नर्मदा, परियट व गौर नदी से पांच सौ मीटर के भीतर की डेयरियों को हटाने के दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे का कहना है कि अनिवार्य नीति के अनुसार नदियों से पांच सौ मीटर दूरी पर डेयरिया नहीं होना चाहिए। जनहित याचिकाकर्ता के वकील प्रभात यादव के अनुसार 28 जनवरी 2026 को एनजीटी ने नौ वर्ष पूर्व के आदेश का सख्त रूप से पालन करने के निर्देश दिए थे। डेयरियों के अपशिष्ट से नर्मदा जल प्रदूषित होने से बचाव के लिए डेयरिया हटाकर नई जगहों पर शिफ्ट करने कहा गया था। एनजीटी के अनुसार नर्मदा के किनारे 25, परियट के किनारे 40 तथा गौर के किनारे 12 डेयरियां पाई गई है। लेकिन नौ वर्ष बीतने के बावजूद न तो डेयरी हटाई गई और न ही उन्हें डेयरी स्टेट खमरिया में शिफ्ट किया गया है। जबकि डेयरी स्टेट का उद्घाटन 24 फरवरी 2022 में हो चुका है। सात वर्ष पूर्व में नर्मदा सेवा यात्रा मिशन के तहत राज्य शासन ने स्वयं माना है कि परियट, गौर व नर्मदा नदी के किनारों में स्थापित डेयरियों से नर्मदा प्रदूषित हुई है। अधिवक्ता प्रभात यादव व तरुण रावत ने मांग की है कि एनजीटी स्वयं समिति का गठन कर जांच करें कि नर्मदा सेवा यात्रा मिशन ने नर्मदा, गौर व परियट को संरक्षित व प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में अब तक में कितना कार्य किया। उन्होंने एनजीटी से प्रार्थना की है कि डेयरी स्टेट खमरिया में जाने हेतु नोटिस जारी करने के बावजूद डेयरियों के संचालकों ने वहां पर डेयरियां शिफ्ट नहीं की, अतः उनके विरुद्ध अपराधिक मामले पंजीबद्ध कराएं।

रज्जाक के मामले में अब 16 मार्च को होगी

मप्र हाईकोर्ट में हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक को लेकर दायर याचिका में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने याचिका पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि जब हिरासत का आधार ही स्पष्ट नहीं है, तो इसे कैसे चुनौती दी जा सकती है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी ने मामले में आवेदक को सिर्फ इस समय की राहत चाहने पर अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने कोर्ट को बताया कि रज्जाक की पत्नी सबीना बेगम ने पहले हिरासत के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसे 8 जुलाई 2025 को वापस ले लिया गया था। इसलिए यह सुनने योग्य नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि राहत के लिए आरोपी को नियमित जमानत आवेदन देना चाहिए न कि इस तरह की याचिका, जिसमें आरोप लगाया गया है कि व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते रज्जाक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई और यह कार्रवाई पूर्व मंत्री व विधायक संजय पाठक के इशारे पर हुई। हाईकोर्ट के निर्देश पर 31 अक्टूबर को विधायक का नाम सार्वजनिक होने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था। हालांकि संजय पाठक ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि उनका इस कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अली और अधिवक्ता शारिक अकील फारूकी ने सरकार की आपत्तियों पर जवाब देने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की है।

मंगलम अस्पताल-हैल्थ सिटी अस्पताल पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

24 घंटे का नोटिस जारी,खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के अस्पतालों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की जांच के लिए एक व्यापक अभियान चलाया ।। इसी कड़ी में कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय और निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य शहरवासियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। कारवाई के संबंध में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि कटंगी बायपास स्थित अस्पतालों के औचक निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि मंगलम हॉस्पिटल और हेल्थ सिटी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में ई.टी.पी. अपशिष्ट उपचार संयंत्र संचालित नहीं थे। सबसे गंभीर विषय तब सामने आया जब अस्पताल स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट खुले में जलाते हुए पाया गया, जो कि पर्यावरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के उल्लंघन पर अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध 1 लाख रुपये का चालान काटा गया। प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है, 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर अस्पताल को सील करने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।इस संयुक्त कार्रवाई में स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री अंकिता बर्मन, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र राज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइंटिस्ट रक्षा रहांगडाले और अमिया एक्का आदि उपस्थित रहे।

गौशाला संचालक पर हमला

जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत खजरी स्थित माँ नर्मदा गौशाला में आवारा मवेशियों के खेत में घुसने की बात को लेकर हुए विवाद में गौशाला संचालक पर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राहुल पटेल पिछले एक साल से खजरी स्थित माँ नर्मदा गौशाला एवं पर्यावरण केंद्र का संचालन कर रहा है। चंदन पटेल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। चंदन ने कहा कि गौशाला के मवेशी उसके खेत में चर गए हैं। राहुल ने अपनी गलती स्वीकार की, तब भी आरोपी और उसके साथी भड़क गए। चंदन पटेल ने लोहे के पाइप से राहुल के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसे चोट लगी। चंदन के साथियों ने भी राहुल के साथ मारपीट की।

भण्डराघाट से रेत निकाल फर्जी रॉयल्टी पर्ची काटी

सरकार को राजस्व का चूना लगाया, दर्ज हुआ मामला

नवभारत, जबलपुर। सिहोरा तहसील के भण्डराघाट से रेत निकालने के लिए फर्जी रॉयल्टी रसीद कट्टा छपवाकर अवैध वसूली कर सरकार को राजस्व का चूना लगा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मझगवां पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। खनिज अधिकारी अशोक कुमार राय (59) ने मझगवां थाना प्रभारी हरदयाल सिंह को एक लिखित प्रतिवेदन सौंपा। इसमें बताया गया कि 12 फरवरी 2026 को कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा को व्हाट्सएप पर एक संदिग्ध पर्ची की फोटो मिली। यह पर्ची क्रमांक 50, बुक नंबर 32 महिंद्रा वाहन एमपी 20 ए बी 6240 के लिए 10 फरवरी को जारी दिखाई गई थी, जिस पर मालिक का नाम सिद्धू पटेल और 3 घन मीटर रेत का उल्लेख था। खनिज विभाग ने जब पर्ची की जांच की, तो पाया कि वह पूरी तरह फर्जी थी और विभाग द्वारा जारी नहीं की गई थी। पता चला कि ग्राम खिरहनी निवासी शैलेन्द्र पटेल ने पैसे लेकर यह फर्जी पर्ची वाहन स्वामी को थमाई थी। पुलिस ने उक्त वाहन को रेत के अवैध परिवहन में पहले ही जब्त कर लिया था।

प्रति ट्राली एक हजार में बेचते थे फर्जी रसीद

जांच और गवाहों के बयानों में यह खुलासा हुआ कि ग्राम खिरहनी कला निवासी सचिन पटेल और शैलेन्द्र उर्फ शैलू पटेल ने मिलकर फर्जी रॉयल्टी का रसीद कट्टा छपवा रखा था। ये आरोपी शासन की रेत निकलवाकर ट्रैक्टर मालिकों से प्रति ट्राली 1,000 रुपये वसूलते थे और उन्हें फर्जी रसीद काटकर देते थे। इस तरह वे न केवल सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे थे, बल्कि ट्रैक्टर मालिकों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे थे।

ये बने आरोपी

मझगवां पुलिस ने आरोपी सचिन पटेल और शैलेन्द्र पटेल के खिलाफ विभिन्न धाराओं एवं खान खनिज अधिनियम के तहत मामला कर लिया है। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य संपर्कों का पता लगाया जा सके।

जब किसान रिसाव की सूचना दे रहे थे, तो मरम्मत क्यों नहीं की गई

बरगी बांध और नहर प्रणाली की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने लगाई अधिकारियों को फटकार

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से बांध की गैलरी में हो रहे रिसाव और नहर वितरण प्रणाली की पूरी जानकारी ली। विशेष रूप से 1 फरवरी को दायीं तट नहर में हुई टूट और उसके वर्तमान मरम्मत कार्यों का जायजा लिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब किसान लंबे समय से रिसाव की सूचना दे रहे थे, तो समय रहते मरम्मत क्यों नहीं की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नहर मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करें। बैठक में बरगी बांध की दायीं और बायीं तट नहरों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

नहरों की साफ-सफाई और रखरखाव पर ध्यान दें

कलेक्टर ने बरगी बांध में सीपेज को ठीक कराने के संबंध में बैठक भी बुलाने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि नहरों की साफ-सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुँच सके।

इसके साथ ही नहरों की साफ-सफाई और सिस्टम करेक्शन के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान यह तय किया गया कि आगामी 28 फरवरी 2026 को कलेक्टर कार्यालय में जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्षों और विभाग के अधिकारियों के बीच एक समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।

सड़क हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम

नवभारत, जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम इमलई निवासी अजय चौधरी 23 वर्ष, बीती 10 फरवरी 2026 की दोपहर करीब 1.30 बजे एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे तत्काल उपचार के लिए जबलपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीन दिनों तक चले उपचार के बाद बीती रात अजय चौधरी ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यौन शोषण के आरोप में फंसे महामंडलेश्वर की मौजूदगी बनी रहस्य, गायब होने की चर्चाएं

नवभारत, जबलपुर। यौन शोषण के आरोप में फंसे महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी के मूवमेंट को लेकर रहस्य बरकरार है। उनके गायब होने की चर्चाएं भी सरगर्म है। दरअसल शुक्रवार को उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था जिसके चलते उन्होंने कथा नहीं की थी। घंटों देरी बाद कथा उनके शिष्य ने की थी। शनिवार को हल्ला उड़ा कि महामंडलेश्वर अपने आश्रम से गायब हो गए है दिनभर चर्चा रही कि वे आयोजन स्थल से निकलकर कहीं चले गए है तो कुछ का यह भी कहना रहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है जिसके चलते वे अपने कक्ष में आराम कर रहे है और बाहर ही नहीं निकले है उनकी मौजूदगी जबलपुर स्थित आश्रम में है या नहीं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकती है लेकिन रहस्य जरूर बन गई है।

विदित हो कि राजस्थान निवासी युवती ने महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस को ई मेल करते हुए सुरक्षा मांगी थी। आरोप है कि एफआईआर कराने की जानकारी लगते ही उसे धमकियां मिल रह रही हैं उधर भेड़ाघाट थाना अंतर्गत हीरापुर स्थित आश्रम में 15 फरवरी तक भागवत कथा कर रहे उत्तम स्वामी का शुक्रवार को अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना और इसके बाद कक्ष से बाहर नहीं निकला समेत उनके शिष्य द्वारा कथा शुरू करना और इसके बाद दूसरे दिन शनिवार को सीधे उनके आश्रम से गायब होने की चर्चाएं होना अनेक सवालों को जन्म दे रही है ।

गुलौआ चौक में कांग्रेस पार्षद दल ने लगाया समानांतर सदन

नवभारत,जबलपुर। कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा शनिवार को गुलौआ चौक में समानांतर सदन का आयोजन किया गया । जिसमें महापौर की भूमिका में युवा कांग्रेस पूर्व पार्षद संजय राठौर ,अध्यक्ष की भूमिका में पार्षद अनुपम जैन, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उपनेता प्रतिपक्ष शगुफ्ता उस्मानी गुड्डू नबी, सचेतक अयोध्या तिवारी, वहीं आयुक्त की भूमिका युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सचिन बाजपेयी द्वारा निभाई गई। इस मौके पर एम.आई.सी. सदस्य के रूप में मनोज पाटकर, मोनू श्रीवास्तव, -अखिलेश शर्मा थे। इस दौरान कांग्रेसियों ने शहर में ठप्प पड़े विकास कार्य की बात कहते हुए पेयजल की शुद्धता के मुद्दे पर, डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समस्या पर चर्चा की और नगर सत्ता पर निशाना साधा। इस मौके पर कांग्रेस पार्षदों ने ये भी कहा कि निगम अध्यक्ष महोदय से धारा 30 की बैठक बुलाने कई बार मांग की जा चुकी है लेकिन नगर की सत्ता सदन में जवाब देने से लगातार बच रही है। आयोजन में इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा , नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उपनेता प्रतिपक्ष शगुफ्ता उस्मानी गुड्डू नबी, सचेतक अयोध्या तिवारी, गुडडू तामसेतवार, तुलसा लखन प्रजापति सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।

श्रीनाथ हत्याकांड : कानपुर से दो कातिलों को उठा लाई पुलिस

सजायाफ्ता दोनों 2011 से चल रहे थे फरार भेजे गए जेल

नवभारत, जबलपुर। हनुमानताल थाना क्षेत्र में हुए श्रीनाथ कोरी हत्याकांड के सजायाफ्ता दोनों भाईयों को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया जिन्हें शहर लाने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है।

टीआई सुभाष चंद बघेल ने बताया कि 1997 में हनुमानताल थाना अंतर्गत बाबा टोला में रहने वाले श्रीनाथ कोरी की हत्या कर दी गई थी। राजेन्द्र मराठा पिता बसंत मराठा (25), उसके भाई नरबद मराठा (32)दोनों निवासी बाबा टोटा को वर्ष 1999 में मान्नीय सेसन न्यायालय जबलपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था। दोनों आरोपी उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत मिलने पर दोनो आरोपी जबलपुर छोड़कर फरार हो गए। दोनों सन् 2011 से फरार चल रहे थे। जिनकी तलाश के लिए सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी किंतु गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उच्च न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। फरार वारंटियों की तलाश की जा रही थी जो काफी समय से फरार थे जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा चार-चार हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्घोषणा की गयी थी। इस बीच दोनों फरार आरोपियों के कानपुर में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल टीम को कानपुर रवाना किया गया। टीम द्वारा पतासाजी करते हुये फरार आरोपित भाईयों को गिरफ्तार किया गया दोनों कानपुर में रहकर मजदूरी कर रहे थे। जिन्हें शहर लाया गया जिसके बाद न्यायलय में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।

नरबद पर 15, राजेन्द्र पर 14 अपराध हैं दर्ज

उल्लेखनीय है कि दोनों आरोपी शातिर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है नरबद के खिलाफ 15 एवं राजेन्द्र मराठा के खिलाफ 14 प्रकरण हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, लूट, मारपीट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पूर्व से दर्ज थे।

रेल्वे ट्रेक पर युवक का शव मिला

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

नवभारत, जबलपुर। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत भटोली रेलवे लाइन के समीप एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी अनुसार महेंद्र उर्फ छोटू साहू निवासी सिलुआ देवरी का शुक्रवार सुबह अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकला था। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। भटोली रेलवे लाइन के पास उसका शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्वारीघाट थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है ।

बैठक | कलेक्टर ने शहर के विकास और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए

डॉग बाइट की घटनाओं पर करें नियंत्रण : कलेक्टर

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने आज नगर निगम, विद्यालयों और राजस्व प्रकरणों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बैठकें आयोजित की। बैठक में अधिकारियों को स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पुस्तक मेला, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि गंदे नालों के पानी से सब्जी उगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। डॉग बाइट की घटनाओं पर नियंत्रण और तालाबों पर अतिक्रमण हटाने के साथ स्कूलों के पेयजल टंकियों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

यातायात प्रबंधन और पुस्तक मेले को लेकर बैठक

कलेक्टर ने विद्यालय में यातायात प्रबंधन और पुस्तक मेले को लेकर बैठक में निर्देश दिए कि स्कूलों में 15 वर्ष से पुराने तथा एलपीजी वाहनों पर प्रतिबंध, स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर, हेलमेट अनिवार्यता और मुख्य द्वार पर सीसीटीवी व वालेंटियर की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। नशा मुक्ति जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और पुस्तक एवं यूनिफॉर्म की सहज उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व प्रकरणों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटान

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में मुख्य रूप से राजस्व प्रकरणों केनामांतरण, सीमांकन, ई-केवायसी लिंकिंग, भू-अर्जन और भू-भाटक प्रीमियम वसूली जैसे प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम और तहसीलदार लंबित शिकायतों की समीक्षा करेंगे और किसानों के साथ आवश्यक बैठक करेंगे। बैठक में जिला पंचायत और सभी राजस्व अधिकारी मौजूद थे।

स्कूल से बंक मार मेला घूमने चली गई थी किशोरी

डांट के डर से स्टेशन में गुजारी रात

पुलिस ने परिजनों को किया सुपुर्द

नवभारत, जबलपुर। लार्डगंज थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी स्कूल से बंक मारकर मेला घूमने चली गई। माता पिता डाटेंगे डर से घर न जाकर रेल्वे स्टेशन पहुंच गई और वहां पूरी रात गुजारी। इस बीच पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किशोरी को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। टीआई नवल सिंह आर्य ने बताया कि शुक्रवार को 37 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका बडा बेटा शाम 4-30 बजे उसकी 16 वर्षिय बेटी को लेने पहुंचा जो स्कूल में नहीं मिली पूछने पर पता चला कि बेटी आज स्कूल नहीं आयी थी। बेटी बिना बताये कही चली गयी है। जो तलाश करने पर नहीं मिली। कोई अज्ञात 16 वर्षिय बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर किशोरी को दस्तयाब किया। जिसने पूछताछ करने पर स्कूल से बंक मारकर मेला घूमने चले जाना एवं मेला घूमने के बाद देर होने पर डर के कारण स्टेशन पर पहुंचकर रात भर स्टेशन में रहना बताया। जिसे मां के सुपुर्द किया गया।